रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 2008/आषाढ़ 14, 1930
No. 243] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 2008/ASADHA 14, 1930

राज्य सभा सचिवालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2008

सं. आरएस.46/2007/टी.—भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) के अधीन दिया गया राज्य सभा के सभापति का दिनांक 4 जुलाई, 2008 का निम्नलिखित निर्णय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

राज्य सभा के सदस्य श्री वीर सिंह ने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 और राज्य सभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 6 के अधीन राज्य सभा के तत्कालीन सभापति श्री भैरों सिंह शेखावत के समक्ष दिनांक 4 अप्रैल, 2007 को एक याचिका दायर की थी जिसमें राज्य सभा के सभापति से प्रार्थना की गई थी कि वह यह निर्णय लें कि राज्य सभा के सदस्य श्री ईसाम सिंह भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हत हो गए हैं और वह राज्य सभा में उनके स्थान को रिक्त भी घोषित करें ।

2. तत्कालीन सभापति ने उक्त नियमों के नियम 7(3) के अधीन याचिका एवं उसके उपबंधों की प्रतियां श्री ईसाम सिंह और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्य सभा में उक्त पार्टी की नेता कुमारी मायावती को 20 अप्रैल, 2007 को प्रेषित की थीं और उनसे इनकी प्राप्ति के सात दिन के भीतर याचिका पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था ।

3. कुमारी मायावती ने अपनी टिप्पणियों में याची के दावे से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि श्री ईसाम सिंह ने, जो कि राज्य सभा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए थे, ने दिनांक 10 सितम्बर, 2006 को एक नया राजनीतिक दल 'बहुजन क्रांति पार्टी' बनाकर और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के कारण स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता को छोड़ दिया था । यह आचरण ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उन्होंने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता त्याग दी है और इसलिए उन्हें निरर्हित किया जाना अपेक्षित है ।

4. श्री ईसाम सिंह ने दिनांक 9 मई, 2007 की अपनी टिप्पणी में अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से असहमति प्रकट की । उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात से इंकार किया कि उन्हें कोई 'कारण बताओ' नोटिस प्राप्त हुआ है और कहा कि यह उन्हें परेशान करने के प्रयोजन से तैयार किया गया था और यह एक मिथ्या दस्तावेज है । वास्तव में, उन्हें पार्टी से अपने निलंबन की जानकारी मीडिया से प्राप्त हुई । उन्होंने कुमारी मायावती के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने की बात से इंकार किया और कुमारी मायावती पर उस समय तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया जब उन्होंने पार्टी की छवि को सुधारने का प्रयास किया । श्री ईसाम सिंह ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से त्याग करने और एक नए राजनीतिक दल में शामिल होने के आरोप का खंडन किया । उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बसपा से अपने निष्कासन के बाद ही एक नया राजनीतिक दल बनाया है, और इसलिए राज्य सभा की सदस्यता से उनकी निरर्हता का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

5. याचिका के संबंध में कुमारी मायावती और श्री ईसाम सिंह की टिप्पणियों पर विचार करने के उपरांत तत्कालीन सभापति इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि इस मामले के स्वरूप और परिस्थितियों के मद्देनजर, इस याचिका को राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपना आवश्यक है और उन्होंने इस याचिका को आरंभिक जांच करने और उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 24 जुलाई, 2007 को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया ।

6. विशेषाधिकार समिति ने अपना प्रतिवेदन मुझे 22 मई, 2008 को प्रस्तुत कर दिया ।

7. इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, मैंने इसकी एक प्रति श्री ईसाम सिंह को भेज दी और उन्हें अपने मामले को प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 1 जुलाई, 2008 को मेरे समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया । श्री ईसाम सिंह उक्त दिनांक को मेरे समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने और समय देने की मांग की । तदनुसार, सुनवाई को स्थगित कर दिया गया और दिनांक 4 जुलाई, 2008 को श्री ईसाम सिंह को एक और अवसर प्रदान किया

गया । श्री ईसाम सिंह निर्धारित तारीख और समय पर पुन: उपस्थित हुए और मैंने उनकी व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की ।

8. अब मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि श्री ईसाम सिंह को राज्य सभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 7(7) के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं, तथा इस मामले के तथ्यों, विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार करते हुए और भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 102 (2) के उपबंधों के अनुसार, मैं इस आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्णय लेता हूं और घोषणा करता हूं :—

"आदेश

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के साथ पठित अनुच्छेद 102(2) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं मोहम्मद हामिद अंसारी, सभापति, राज्य सभा एतद्द्वारा निर्णय लेता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य से निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य, श्री ईसाम सिंह द्वारा बहुजन समाज पार्टी, जो कि उनका मूल राजनीतिक दल है, की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दिए जाने के कारण भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (1)(क) के निबंधनों के अनुसार राज्य सभा का सदस्य बने रहने से निरर्हत हो गए हैं ।

तदनुसार, श्री ईसाम सिंह तत्काल प्रभाव से राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे हैं ।"

नई दिल्ली,
4 जुलाई, 2008

ह./-
मोहम्मद हामिद अंसारी
सभापति, राज्य सभा

विवेक कुमार अग्निहोत्री, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2008

No. RS.46/2007-T.—The following decision dated the 4th July, 2008 of the Chairman, Rajya Sabha, given under paragraph 6(1) of the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

Shri Veer Singh, Member, Rajya Sabha, filed before the then Chairman, Rajya Sabha Shri Bhairon Singh Shekhawat, a petition dated the 4th April, 2007, under paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution and rule 6 of the Members of Rajya Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985, praying that the Chairman, Rajya Sabha, be pleased to hold that Shri Isam Singh, Member, Rajya Sabha, stands disqualified under the Tenth Schedule to the Constitution of India and also declare his seat in the Rajya Sabha vacant.

2. The then Chairman forwarded copies of the petition and the annexures thereto to Shri Isam Singh and Ms. Mayawati, National President and the then Leader of the Bahujan Samaj Party in Rajya Sabha, under rule 7(3) of the said Rules, on 20th April, 2007 requesting them to forward their comments on the petition to him within seven days from the receipt of the same.

3. Ms. Mayawati in her comments agreed with the contention of the petitioner and contended that Shri Isam Singh, who had been elected to the Rajya Sabha from the State of Uttar Pradesh as a candidate of the Bahujan Samaj Party, had voluntarily given up membership of that Party by forming a new political party 'Bahujan Kranti Party' on the 10th September, 2006 and his becoming its National President. This is a conduct which could be in itself a sufficient evidence to prove that he has voluntarily given up the membership of the Bahujan Samaj Party and, therefore, deserves to be disqualified.

4. Shri Isam Singh in his comments dated the 9th May, 2007 disagreed with the charges made against him. He, inter alia, denied having received any Show Cause Notice, and said that it was a manipulated document meant for his harassment. In fact he came to know about his suspension from the Party from media. He denied making false allegations against Ms. Mayawati and accused her of taking a dictatorial action, when he tried to uplift the image of the Party. Shri Isam Singh denied the charges of voluntarily giving up membership of the Bahujan Samaj Party and joining a new political party. He also stated that he had formed a new political party only after his expulsion from the BSP, and hence there was no question of his desqualification as a Member of Rajya Sabha.

5. After considering the comments of Ms. Mayawati and Shri Isam Singh in relation to the petition, the then Chairman was satisfied, having regard to the nature and circumstances of the case, that it was necessary to refer the petition to the Committee of Privileges of Rajya Sabha and he referred the petition to the Committee of Privileges on the 24th July, 2007 for making a preliminary inquiry and submitting a report to him.

6. The Committee of Privileges submitted its Report to me on the 22nd May, 2008.

7. On receipt of the report, I forwarded a copy thereof to Shri Isam Singh and gave him an opportunity to appear before me on the 1st July, 2008 to represent his case and to be heard in person. Shri Isam Singh appeared before me on that date and desired that an extension of time may be granted to him. Accordingly, hearing was adjourned and another opportunity was afforded to Shri Isam Singh on the 4th July, 2008. Shri Isam Singh again appeared on the scheduled date and time and was heard by me in person.

8. Now that I am satisfied that reasonable opportunities were given to Shri Isam Singh to represent his case and to be heard in person, in terms of Rule 7(7) of the Members of Rajya Sabha (Disqualification on ground of Defection) Rules, 1985, taking into account the facts of the case, the Report of the Committee of Privileges and in accordance with the provisions of Article 102(2) read with the Tenth Schedule to the Constitution of India, I decide and declare by this order as follows :—

"ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under Article 102(2) read with paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution of India, I, Mohammad Hamid Ansari, Chairman, Rajya Sabha, hereby decide that Shri Isam Singh, an elected member of the Rajya Sabha from the State of Uttar Pradesh, by voluntarily giving up his membership of the Bahujan Samaj Party, his original political party, has become subject to disqualification for being a member of the Rajya Sabha in terms of paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

Accordingly, Shri Isam Singh has ceased to be a member of the Rajya Sabha with immediate effect."

New Delhi;
4th July, 2008

Sd./-
MOHAMMAD HAMID ANSARI
Chairman, Rajya Sabha

V. K. AGNIHOTRI, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.